न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 612–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–1–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 122/अपील/2015–16.

1– गोरेलाल पिता रामरतन माली
निवासी ग्राम नयागांव तहसील खातेगांव
जिला देवास

2– राहुल पिता गोरेलाल माली
निवासी ग्राम नयागांव तहसील खातेगांव
जिला देवास

3– रोहित पिता गोरेलाल माली
निवासी ग्राम नयागांव तहसील खातेगांव
जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुन्दरलाल पिता रामरतन माली
निवासी ग्राम नयागांव तहसील खातेगांव
जिला देवास

2– सतीश पिता सुन्दरलाल माली
निवासी ग्राम नयागांव तहसील खातेगांव
जिला देवास .....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 29/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि पर जाने हेतु रूढिगत रास्ता था जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15–8–2015 को आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–11–15 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–1–2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन सा रूढिगत रास्ता था जिसे अवरूद्ध किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की भूमि में से रास्ता दिया गया था, अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने स्थल निरीक्षण कर रास्ता दिया था । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण से

प्रकरण में आई साक्ष्य की विस्तृत विवेचना की जाकर रूढिगत रास्ता होने का निष्कर्ष निकाला है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैकल्पिक शासकीय रास्ते का जो आधार लिया है, उसकी पुष्टि साक्ष्य से नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर